

प्रेस-विज्ञप्ति  
जनपद कानपुर देहात।

**दिनांक:- 06.09.2021**

**थाना शिवली**

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 418/21 धारा 294 भादवि में अभियुक्त धर्मवीर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 419/21 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियुक्त रविशंकर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(3)

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 240/17 धारा 452/354/504/506 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त झग्गू उर्फ लल्लू वर्मा को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(4)

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 436/15 धारा 323/504 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्तगण सौरभ आदि 02 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(5)

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 111/16 धारा 323/504/506 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त वीके को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(6)

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 3/19 धारा 363/366/376/120बी भादवि0 व ¾ पाक्सो एक्ट में वारण्टी अभियुक्त रामखिलावन को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(7)

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 117/19 धारा 323/324/504 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त देवेन्द्र को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(8)

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 178/19 धारा 323/325/504 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त गुड्डू को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(9)

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 640/09 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वारण्टी अभियुक्त रामऔतार को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(10)

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 210/19 धारा 363/366/376 भादवि0 व ¾ पाक्सो एक्ट में वारण्टी अभियुक्त मुन्नीलाल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(11)

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 43/19 धारा 323/504 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त शंकर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(12)

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 107/18 धारा 323/504/506 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त रामू को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

### थाना अकबरपुर

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 510/21 धारा 354क भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त दीपू को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

(2)

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 230/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त रामू को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

(3)

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 1147/19 धारा 406/41 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त सुन्दरलाल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

(4)

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 425/05 धारा 323/504/506 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त मान सिंह आदि 02 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

### थाना भोगनीपुर

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 466/18 धारा 363/366/376/504 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट में वारण्टी अभियुक्त संदीप को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

### थाना रसूलाबाद

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 1800/16 धारा 323/504/506/452/324/307 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्तगण जयनारायण आदि 02 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

(2)

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 734/17 धारा 323/504/506/336/308 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त हरिपाल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

(3)

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग एस0टी0नं0 105/13 धारा 392/307/326 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्तगण राजेन्द्र आदि 02 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

### थाना डेरापुर

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 107/116 सीआरपीसी भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त शैलेन्द्र को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

(2)

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 118//17 धारा 323/308/504/506 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त गिरजेश उर्फ पिन्टू को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

(3)

दिनांक 05.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग एस0टी0नं0 111/21 धारा 452/354क/323/504/506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त बलवीर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।